प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

114. परबतसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री रामनिवास गाविड्या ग्राम हनुवन्तपुरा पोस्ट रुपपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थानः- श्रीमती माडीबाई मिर्धा राजकीय महिला महाविद्यालय नागौर

दिनांक:- 03 दिसम्बर 2023

(बलबीर सिंह)

रिटर्निंग ऑफिसर

परबतसर (114) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)

परबतसर

रिटर्निंग अधिकारी (S. D. M.) इरबतसर (114)

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legisletive Assembly of Rajasthan State from the 114-PARBATSAR Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that—

Shri RAMNIWAS GAWRIYA

Village Hanwantpura Post Rooppura Tehsil Kuchaman City District Deedwana-Kuchaman

Sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - Smt. Madibai Mirdha Govt. Girls College Nagaur

Dated - 03.12.2023

(BALBIR SINGH)

Returning Officer

Parbatsar (114) Assembly Constituency (Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate)

Parbatsar

रिटर्निंग अधिकारी (S. D. M.) चरवतसर (114)